

10/9/21

वादी मंग अमिताभ के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
आदेश 23 निम्न । सम्बन्धित आदेश 151 जारी
पर पत्रवली आज तलक की रकम प्रार्थना के
अपने प्रार्थना पत्र में निम्न रकम की नया कर
प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ उक्त रकम के
बिन्दु को पाने की अनुमति क्या जाना जाय
ये हमने प्रार्थना अमिताभ के प्रार्थना पत्र पर
खुशा गण । पत्रवली का अवलोकन के पत्र वादी
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राप्त है।
तथा नवीन कर प्रस्तुत करने की अनुमति
स्वीकृत की जात है। बाद पर इसी स्तर पर
बिन्दु क्या जाना है। पत्रवली के सब अंश
देकर नक्कल से क्या है।

Insured
मानविकी

श्री. किशन सिंह पुत्र स्व. श्री. लखन सिंह
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

श्रीमति कंचन कौर पुत्री स्व. श्री. राम
समस्त जाति सजपुत्र विवासी राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला
अजमेर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।
उपपंजीयक महोदय पुष्कर।
चन्द्र प्रकाश मंघानी पुत्र श्री वासुदेव मंघानी, जाति सिंधिया विवासी
377/5 चन्द्र विलास, रामनगर, अजमेर।



वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188
काश्तकारी अधिनियम 1955